न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 09/2024

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण

1 विशाल सांखला पुत्र ओम प्रकाश सांखला निवासी रोठोडी कुवा नागौर।
मैसर्सः– श्री श्याम स्वीट्स होम, विजय वल्लभ चौराहा, डीडवाना रोड नागौर
2 गिरी राज सोनी पुत्र मुरलीधर सोनी निवासी हाथी चौक नागौर
मैसर्सः– महादेव भण्डार, दुकान नम्बर 15, श्रीराम गौशाला मार्केट, दिल्ली दरवाजा नाग

आदेश दिनांक : 28.03.2024

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 30-08-2023 को मैसर्स श्री श्याम स्वीट्स होम, विजय वल्लभ चौराहा, डीडवाना रोड नागौर पर खाद्य पदार्थ सोन पापडी (माधव ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 2546 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/1329/एक्ट/2023/1365 दिनांक 14.09.2023 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ गाय का सोन पापडी (माधव ब्राण्ड) मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण विशाल सांखला पुत्र ओम प्रकाश सांखला निवासी रोठोडी कुवा,नागौर तथा गिरी राज सोनी पुत्र मुरलीधर सोनी निवासी हाथी चौक नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 53 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 30-01-2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने दिनांक 28.03.2024 को अपना जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी फर्म से सोन पापडी का सैम्पल लिया जो जांच में मिसब्राण्ड होना पाया गया, मैंनें उक्त सोन पापडी मैसर्स महादेव भण्डार, दुकान नम्बर 15, श्रीराम गौशाला मार्केट, दिल्ली दरवाजा नागौर के यहां से खरीदता हूं। अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मैसर्स श्री श्याम स्वीट्स होम, विजय वल्लभ चौराहा, डीडवाना रोड नागौर के यहां से सोन पापडी का सैम्पल लिया जो जांच में मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त सोन पापडी को मेरी फर्म द्वारा बेचा गया है। अप्रार्थीगण ने बताया कि भविष्य में सोन पापडी बेचते समय ऐसी गलती नहीं करेंगे। अप्रार्थीगण ने दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस/1329/एक्ट/2023/1365 दिनांक 14.09.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सोन पापडी (माधव ब्राण्ड) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 विशाल सांखला पुत्र ओम प्रकाश सांखला निवासी रोठोडी कुवा, नागौर तथा अप्रार्थी संख्या 02 तथा गिरी राज सोनी पुत्र मुरलीधर सोनी निवासी हाथी चौक नागौर पर संयुक्त रूप से रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश आज दिनांक 28.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

28/3/24

(चम्पालाल जीनगर)

अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)